

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

137 / 2024

05.04.2024

05.04.2025

1. श्री अशोक कुमार खटीक पुत्र घीसुलाल खटीक, निवासी पंचमुखी रोड, दादाबाडी रोड, भीलवाडा
2. मुकेश कुमार खटीक पुत्र बालुराम खटीक, निवासी पंचमुखी रोड, दादाबाडी भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. जमनालाल पुत्र देवीलाल ओझा, निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
2. देवी पुत्र हमीरा कीर, निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
3. मुकेश कुमार भुतडा पुत्र नन्दलाल भुतडा, निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
4. काना पुत्र छीतर कीर, निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
5. चांदी पत्नी छोगा कीर, निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
6. प्रेम पुत्री छोगा कीर, निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
7. बरजी पत्नी मांगु कीर, निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
8. भगवानी पुत्री छोगा कीर, निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
9. भैरूलाल पुत्र छोगा कीर, निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
10. पिकी देवी पत्नी हरिलाल कीर, नि0 बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
11. लक्ष्मण पुत्र मोती कीर, निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
12. शंकर पुत्र मोती कीर, निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
13. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, बडलियास (राज)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री अभिमन्यू जोशी उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 12 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडलियास पटवार हल्का बडलियास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद मे हम प्रार्थीगण की कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण खाता संख्या 503 में आराजी संख्या 2238/1720 रकबा 2.1606 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 2662/1720 रकबा 0.6482 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम बडलियास पटवार हल्का बडलियास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद मे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण खाता संख्या 503 में आराजी संख्या 2238/1720 रकबा 2.1606 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 2662/1720 रकबा 0.6482 हैक्टेयर स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02-05-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)

उपस्थित अधिकारी
भीलवाड़ा